मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/पेंशन/ 6518 भोपाल, दिनांक 12.09.2018

आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी निधि, लेखा) नियम 1980 के नियम-7(1) के तहत प्रत्येक मण्डी समिति अपनी कुल प्राप्तियों के 05% को आरक्षित निधि के रूप में रखेगा। इस उपबंध में यह व्यवस्था है कि संचालक को यह शक्ति होगी कि वह प्रतिशत सीमा को 10% के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए बढ़ा सकेगा तथा नियम 7(2) में प्रावधान है कि इस आरक्षित निधि से पेंशन आदि स्वत्वों के भुगतान संचालक द्वारा निर्दिष्ट रीति से किए जावेंगे।

02. उपरोक्त प्रावधानो के अंतर्गत म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश क्रमांक/बी-1/2/पेंशन/15/671 दिनांक 24.09.2001 द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 से मण्डी समितियों को अपनी कुल प्राप्तियों (अनुज्ञप्ति फीस तथा मण्डी फीस) के 8% आरक्षित निधि में जमा किए जाने के आदेश प्रसारित किए गए।

03. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा एवं मण्डी समिति सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य स्वत्वों में दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् पुनरीक्षण होने से 8% आरक्षित राशि अपर्याप्त हो गई है।

04. उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र.कृषि उपज मण्डी (मण्डी निधि तथा लेखा) नियम 1980 के नियम 7(1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक कृषि उपज मण्डी समिति, 01 अक्टूबर, 2018 से अपनी कुल प्राप्तियों का (अनुज्ञप्ति फीस तथा मण्डी फीस) के 10% का आरक्षित निधि के रूप में रखेगी।

05. पैरा 04 में वर्णित अनुसार मण्डी समितियों में जमा होने वाली 10% आरक्षित निधि का तीन चौथाई भाग म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल में संधारित आरंक्षित निधि के लिए प्रेषित की जाएगी तथा शेष एक चौथाई राशि को मण्डी समिति सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दायित्वों के निराकरण के लिए उपयोग किया जाएगा।

06. उपरोक्त के संबंध में पूर्व में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

उक्त आदेश 01 अक्टूबर, 2018 से प्रभावशील होगा।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/पेंशन/ 6919 भोपाल, दिनांक 12.09.2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. अपर संचालक(समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल
03. संयुक्त संचालक/उप संचालक(समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ...
04. लेखाधिकारी(लेखा/आडिट), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
05. शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, टी.टी.नगर, भोपाल।
06. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,...........................जिला....................

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल